बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांकः– 5174067 दिनांकः– 09/02/2026
ग्रा0वि0–4/प्रखंड भवन–02–09/2025

सेवा में,

महालेखाकार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः– समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य के निमित प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 12,15,00,000/– (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये में 80.68 प्रतिशत वृद्धि के साथ द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की कुल राशि 21,95,22,951/– (इक्कीस करोड़ पंचानबे लाख बाईस हजार नौ सौ इक्यावन) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार ने प्रखंड प्रशासन के सुदृढ़कीकरण के दृष्टिकोण से राज्य मंत्रिपरिषद् के स्वीकृत्योपरान्त विभागीय पत्रांक–334737 दिनांक–01.11.2017 द्वारा विद्यापतिनगर प्रखंड को शिवाजीनगर प्रखंड से प्रतिस्थापित किया गया था तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि पूर्व में स्वीकृत राशि 12,15,00,000/– (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये यथावत् रखा गया। राज्य मंत्रिपरिषद् के स्वीकृत्योपरान्त विभागीय पत्रांक–475628 दिनांक–28.06.2021 द्वारा ₹18.78 करोड़ रुपये के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त परिस्थिति में समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य की द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु कुल राशि 21,95,22,951/– (इक्कीस करोड़ पंचानबे लाख बाईस हजार नौ सौ इक्यावन) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति को मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ लाया गया।

2. प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति ₹18.78 करोड़ रुपये के विरूद्ध निविदा पश्चात् ₹18.052 करोड़ रुपये का एकरारनामा कर दिनांक–15.03.2022 से कार्य प्रारंभ किया गया। भवन का कार्य सभी स्तरों पर (चहारदीवारी निर्माण को छोड़कर) ससमय पूर्ण किया जा चुका है तथा लगभग दो वर्षों से पूर्ण है। वर्तमान में 26 जनवरी, 2026 को प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। स्थानीय अवरोध के कारण चाहरदीवारी का कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। चहारदीवारी Upto E.G.L. अधिकतम हिस्सों में किया गया परन्तु स्थानीय अवरोध के कारण पूर्ण नहीं हो सका है। कराये गये कार्य के अनुरूप योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 21.95 करोड़ रुपये है, जो मूल एकरारनामा से 16.40 प्रतिशत अधिक है। प्राक्कलन की राशि में वृद्धि का मुख्य कारण निम्नवत् है :–

(क) प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन हेतु प्राक्कलन वर्ष 2018 के अनुसूचित दर पर तैयार किया गया था। विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा तकनीकी स्वीकृति वर्ष 2020 के अनुसूचित दर पर दी गई है । इस कारण लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मूल प्रशासनिक स्वीकृति से लगभग सात सालों के बाद प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई।

(ख) तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में Precast Terrazo Tiles Flooring का प्रावधान किया गया था, जो प्रचलन में नहीं होने के कारण उसके स्थान पर प्रस्ताव के अनुसार Kota Stone Flooring का कार्य कराया गया है, जिसके कारण लगभग 16.00 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में 1.4 मीटर मिट्टी भराई का कार्य स्वीकृत था, उसके स्थान पर स्थलीय आवश्यकता के अनुरूप 2.175 मीटर भराई का कार्य किया गया है, जिसके कारण Plinth Height, RCC, Reinforcement आदि के मदों में बढ़ोत्तरी हुई है।

(घ) गैर एकरारित मदों में आवश्यकतानुसार मुख्यतः Wall Putty Work & Vitrified Tile Flooring का कार्य सम्मिलित है।

(ङ.) तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में Reinforcement की मात्रा का 122.5 kg/m3 का प्रावधान किया गया था। पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार Reinforcement की मात्रा का 142.33 kg/m3 है।

3. वर्तमान में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति पर अनुज्ञेय सीमा लागू नहीं होने के कारण पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC-18167/2024 से संबद्ध होते हुए MJC-856/2025 में विचाराधीन है, जिसमें संवेदक के कराये गये कार्य के विरूद्ध कुल 3,17,09,250/– रुपये का भुगतान लंबित है।

4. ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्धारित योजना उद्व्यय के अन्तर्गत भवन निर्माण विभाग की मांग संख्या–3 में मुख्य शीर्ष 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 01 कार्यालय भवन लघु शीर्ष 051 निर्माण उपशीर्ष 0117 प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) समूह शीर्ष राज्य योजना के अन्तर्गत विपत्र कोड 03–4059010510117 के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में 20000.00 लाख रुपये की निधि उपबंधित है।

5. उपर्युक्त के आलोक में समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर प्रखंड–सह–अंचल कार्यालय–सह–आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य के निमित प्रदत्त मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि 12,15,00,000/– (बारह करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये में 80.68 प्रतिशत वृद्धि के साथ द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की कुल राशि 21,95,22,951/– (इक्कीस करोड़ पंचानबे लाख बाईस हजार नौ सौ इक्यावन) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. व्यय की जाने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर से की जायेगी।

7. स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561वि0(2) दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेशों/ निदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

8. इस पर दिनांक 06.02.2026 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–09 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है ।

9. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–ग्रा0वि0–4/प्रखंड भवन–02–09/2025 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–51/टि0 पर दिनांक–09.02.2026 को प्राप्त है ।

विश्वासभाजन,

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

(

पत्रांकः– 5174067 दिनांक :– 09/02/2026

ग्रा0वि0–4/प्रखंड भवन–02–09/2025

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त –सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/02/2026

प्रधान सचिव

पत्रांकः– 5174067 दिनांक :– 09/02/2026

प्रतिलिपि– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर/जिला कोषगार पदाधिकारी, समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, समस्तीपुर/प्रखंड विकास पदाधिकारी, शिवाजीनगर (समस्तीपुर)/अंचल अधिकारी, शिवाजीनगर (समस्तीपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

09/02/2026

प्रधान सचिव

पत्रांकः– 5174067 दिनांक :– 09/02/2026

प्रतिलिपि– मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) सूचनार्थ प्रेषित।

09/02/2026

प्रधान सचिव